संख्या-121/2020/3577/71-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 06 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/1271, दिनॉक 12-09-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26- "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में शासनादेश दिनॉक 28.08.2020 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 35,00,000.00 (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/ 71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनॉक 28.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित उपकरणों/एसेसिरीज आदि के लिए निविदा में अर्ह फर्म द्वारा इन्ही विशिष्टियों हेतु इससे कम दर पर कही आपूर्ति नहीं की गई है तथा प्राप्त दरें इन स्पेसिफिकेशन हेतु अन्य संस्थानों/मेडिकल कालेजों तथा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन व अन्य शासकीय निकायों द्वारा की गई निविदा में प्राप्त दरों से अधिक नहीं है। इसका दायित्व संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

3- तालिका में वर्णित उपकरणों का क्रय उन्हीं स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा, जिनका विवरण निविदा में किया गया है तथा जिस फर्म का न्यूनतम निविदा मूल्य प्राप्त हुआ है। तालिका में न्यूनतम निविदा मूल्य का उल्लेख कर दिया गया है। संबंधित उपकरण का क्रय न्यूनतम निविदा मूल्य वाले फर्म से किए जाने की कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- क्रय आय-व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सीधे क्रय की अनुमति हेतु प्रस्तावित उपकरणों का समस्त क्रय निविदा हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत है। इसमें कुछ भी अन्यथा कोटेशन आदि पर आधारित नहीं है, जैसा कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनॉक 23.09.2008 में सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय सीमा के अनुसार है, जिसमें 1.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य है।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय के लिए आवश्यक मात्रा के टुकड़े-टुकड़े करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

7- संबंधित वस्तु/सामग्री उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किए गए किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है।

8- प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन्स का उपकरण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश/डी0जी0एस0एन0डी0 भारत सरकार के दर अनुबन्ध में उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयॉ नहीं बनाती है।

9- प्रश्नगत उपकरण/सामग्री के सीधे क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट/अनुदान उपलब्ध है तथा क्रय की कुल धनराशि इस हेतु आवंटित बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- क्रय की जाने वाली वस्तुओं की दर बाजार के वर्तमान दरों के अनुसार है।

11- क्रय की जाने वाली वस्तु/उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गयी वस्तु/सामग्री उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) की है तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति करती है तथा जॉच में भी उपयुक्त पायी गयी है। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ सुनिश्चित करेगें कि क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है।

13- प्रश्नगत क्रय प्रक्रिया में शासनादेश दिनांक 03.02.2011 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अपेंडिक्स-19 के प्रस्तर-31 में निर्दिष्ट व्यवस्था का अनुसरण/विनिश्चय करते हुये निविदा में प्राप्त दरों का परीक्षण/निगोशिएशन किया गया है।

14- क्रय की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निमित्त यथावश्यकता आपूर्ति विदेशी प्रतिष्ठान के अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि से प्राप्त करने हेतु सीधे क्रय अथवा साख-पत्र (एल0सी0)/अपरिवर्तनीय साख पत्र (आई0एल0सी0) भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीयकृत बैक में स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

15- सी0एम0सी0 सहित अनुमोदित दर के अनुसार वारण्टी अवधि समाप्त होने के बाद सी0एम0सी0 अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए।

16- उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17- उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष द्वारा क्रयाधिकार संबंधी सीमाओं के अन्तर्गत क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

19- शासनादेश संख्या-101/2020/3386/71-1-2020-जी-44/2018 टी0सी0, दिनॉक 28.08.2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-41-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

**संजग्नक-यथोक्त।**

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-121/2020/3577(1)/71-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- संख्या- 121/2020/3577/71-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-3,
दिनॉक् 06 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

मेडिकल कालेज, मेरठ

| क्र0 | विभाग का नाम | उपकरण का नाम | वांछित मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | माइक्रोबायोलॉजी विभाग | आर0टी0पी0सी0आर0 | 01 नग | 15,00,000.00 | 15,00,000.00 |
| | | आर0एन0ए0 एक्सट्रैक्शन | 01 नग | 20,00,000.00 | 20,00,000.00 |
| | | | | **योग-** | **35,00,000.00** |

http://shasanadesh.up.nic.in

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।